न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जगदीश आर्य

निगरानी संख्या 45 / 2017 तारीख रजू 04.09.2017

कैलाश पुत्र श्री भंवरलाल ब्राहमण निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

..........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. बाल किशन पुत्र सदाशंकर ब्राहमण निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच

..........अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12.06.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.1997 एवं पंचायत समिति सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.04.11 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से साज कर निगरानीकर्ता के दुकान के लगते हुए भूखण्ड जो कि वर्षो से प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग में आ रहा था, को ग्राम पंचायत से गुपचुप विक्रय करने का प्रयास किया, जिस पर प्रार्थी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त कर 36 वर्गगज की भूमि 101 / – रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से रेस्पोंडेंट संख्या 1 को दे दी गई, जिसके विरूद्व पंचायत समिति में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर पंचायत समिति द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, तदुपरान्त उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही कोई तारीख पेशी प्रार्थी अपीलान्ट को बताई गई तथा बिना किसी सूचना के व बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 18 / 04 / 2011 को इकतरफा मौका दिखवाकर गैरकानूनी ढंग से प्रार्थी की अनुपस्थिति में अपील को खारिज करते हुए ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का निर्णय बहाल रखा जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं एवं वकील अप्रार्थी संख्या 2 के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क दिया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से साज कर निगरानीकर्ता के दुकान के लगते हुए भूखण्ड जो कि वर्षो से प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में आ रहा था, को ग्राम पंचायत से गुपचुप विक्रय करने का प्रयास किया, जिस पर प्रार्थी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त कर 36 वर्गगज की भूमि 101/– रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से रेस्पोंडेंट संख्या 1 को दे दी गई जिसके विरूद्ध पंचायत समिति में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर पंचायत समिति द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, तदुपरान्त उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही कोई तारीख पेशी प्रार्थी अपीलान्ट को बताई गई तथा बिना किसी सूचना के व बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 18/04/2011 को इकतरफा मौका दिखवाकर गैरकानूनी ढंग से प्रार्थी की अनुपस्थिति में अपील को खारिज करते हुए ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का निर्णय बहाल रखा। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय क0ख0 के यहां दिनांक 28.05.97 को एक दावा प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया और दोनो पक्षों द्वारा विवादित भूमि को स्वयं के उपभोग की बताई गई। उक्त दावा साक्ष्य हेतु विचारित चल रहा था तथा पंचायत समिति द्वारा इस हेतु आदेश पारित किया गया था कि दोनो पक्षों के बीच सिविल वाद विचारित है, उसके अन्तिम निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। फिर भी पंचायत समिति द्वारा बिना सिविल कोर्ट के निर्णय के बिना इकतरफा आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया, जो नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह कि कोई भी भूमि दो व्यक्तियों के स्वामित्व के मध्य स्थित है तो ऐसी भूमि को नियमन करने का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि ऐसी भूमि केवल सार्वजनिक नीलामी में ही विक्रय की जा सकती है। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पंचायत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त भूमि को बिना कोई सार्वजनिक नीलामी किये बिना काफी कम रेट पर 101/– रूपया प्रतिवर्गगज के हिसाब से रेगुलाईज दिनांक 22/04/97 को ग्राम पंचायत द्वारा कर दी गई, जबकि इससे कई वर्षों पूर्व उसी स्थान के आस–पास की भूमि जिसमें श्री पदमचन्द पुत्र रामदयाल सिंघाडिया दायरी संख्या 404 दिनांक 11/06/80 निर्णय दिनांक 16/06/81 को 201/– रूपया प्रतिवर्गगज के हिसाब से सार्वजनिक बोली में आवंटित हुई थी। उसके 17 साल बाद सौ रूपये प्रतिवर्गगज की कम रेट लगाकर उक्त भूमि रेस्पोडेंटगण के हक में गैरकानूनी ढंग से नियमन किया गया, जिससे ही स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 के मध्य दुरभि संधि की गई और ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि पहुंचाई गई, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि 22/04/97 को ग्राम पचांयत द्वारा गैरकानूनी ढंग से आदेश पारित किया और उसकी अपील पंचायत समिति सवाई माधोपुर में होनी तय थी। रेस्पोडेंटगण द्वारा ये पूर्व जानकारी थी कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी अपीलाण्ट क्लेम कर रहा है तो एक दावा सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां प्रस्तुत किया और दावा प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद रातोंरात अपीलाण्ट के रास्ते को बन्द करते हुए आनन फानन में केवल रास्ते के समक्ष ईटों की दीवार खडी कर दी, जिसमें मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। मौका कमिश्नर द्वारा ये कहा गया है कि उक्त दीवार हवा आने पर भी हिलती है तथा बिल्कुल नया निर्माण किया गया है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में रास्ता पुराना बताया गया, जिससे स्पष्ट था कि रास्ते के बाद जो भूमि थी वह अपीलाण्ट के

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उपयोग उपभोग की भूमि थी, जिस पर गैरकानूनी ढंग से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत से साज कर भूमि का नियमन किया गया। ऐसा आदेश नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि पचांयत समिति द्वारा दिनांक 18/04/11 में अपील का निर्णय करते समय अपीलाण्ट को अनुपस्थित बताते हुए दिनांक 14/03/11 की कोई रिपोर्ट सुरेश चन्द हरिशंकर कल्लूराम से तलब की गई और निर्णय पारित कर दिया, जबकि नियमानुसार मौका देखते हुए प्रार्थी अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था तथा मौका देखते समय अपीलाण्ट की उपस्थिति में अथवा उसकी जानकारी में मौका देखना चाहिए था परन्तु समस्त कार्यवाही राजनैतिक प्रभाव में आकर इकतरफा मौका देखकर गलत मौका रिपोर्ट को आधार मानकर इकतरफा आदेश पारित कर दिया। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाण्ट द्वारा पंचायत समिति में वर्ष 1997 में निगरानी प्रस्तुत की। वर्ष 1997 से वर्ष 2011 तक 14 वर्ष तक कोई कार्यवाही अपील में नहीं की गई और अचानक दिनांक 18/04/11 को बिना किसी उचित कारण के आदेश पारित कर दिया। अगर आदेश पारित करना था तो पंचायत समिति 14 वर्ष तक चुप क्यों रही तथा 14 वर्ष बाद अगर कोई आदेश पारित करना था तो अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था अन्यथा अनुपस्थिति में खारिज करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं करके इकतरफा में मेरिट पर निस्तारण किया, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह केवल राजनैतिक प्रभाव से पारित किया है क्योंकि इस समय पत्रावली सिविल कोर्ट में साक्ष्य में चल रही थी तथा अपीलाण्ट द्वारा पंचायत समिति का स्थगन आदेश सिविल कोर्ट में पेश कर रखा था। इस कारण रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ने गैरकानूनी आदेश पारित करवाकर सिविल कोर्ट में पेश किया, ऐसा आदेश निरस्तनीय है। यह कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने अपील में जो बिन्दु उठाये थे, उसका कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया और बिना किसी आधार के पंचायत समिति द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज की है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि दस वर्ष पूर्व विवादित भूखण्ड के आस पास की भूमि 201/– रूपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से विक्रय हुई फिर दस वर्ष उपरान्त मात्र 101/– रूपये में पंचायत द्वारा किस आधार पर भूमि विक्रय की गई, इसका कोई विवेचन पंचायत समिति द्वारा नहीं किया गया तथा ग्राम पचांयत को हुए नुकसान का भी कोई विवेचन नहीं किया और निर्णय पारित किया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरकानूनी ढंग से रेस्पोडेट संख्या 1 की तीन बार में अलग अलग भागों में विवादित भूमि के आस पास निरन्तर भूखण्ड नियमित किये गये, जिसमे आम रास्ते की भूमि सार्वजनिक गली की भूमि तथा शिव मन्दिर में आने जाने का रास्ता व अन्य आम रास्तों की भूमि तक को रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम उसके प्रभाव में आकर नियमित करते रहे। कभी कोई सार्वजनिक नीलामी नहीं की। जबकि इसका कोई कानूनी अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां विवादित भूखण्ड के संदर्भ में वाद विचारित था तथा उसमें काउण्टर क्लेम भी पेश किया हुआ था, जिसकी समस्त नकलें पंचायत समिति में प्रस्तुत की जा चुकी थी साथ ही सिविल कोर्ट द्वारा अस्थाई

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निषेधाज्ञा विवादित भूमि के सन्दर्भ में जारी की हुई थी, जिसका आदेश आज भी प्रभावी है। जिसके आदेश की प्रति पंचायत समिति में प्रस्तुत की गई, परन्तु सिविल कोर्ट के आदेश को नजरन्दाज कर तथा सिविल कोर्ट में प्रकरण विचारित होने के बिन्दु को नजरन्दाज कर पंचायत समिति द्वारा गुपचुप तरीके से आदेश पारित कर दिया ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के आदेश निरस्तनीय है। यह कि 18/04/11 पंचायत समिति के आदेश की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी परन्तु सिविल कोर्ट में वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पंचायत समिति के आदेश की प्रति पेश की गई, जिससे प्रार्थी ने पंचायत समिति में जाकर आदेश प्राप्त करने हेतु प्रयास किये, जिसकी नकल दिनांक 11/04/12 को प्राप्त हुई, जिससे प्रथम जानकारी पर दिनांक 11/04/12 से अपील अन्दरमियाद प्रस्तुत की गई तथा डिले कन्डोन हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अन्त में वकील निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा का आदेश दिनांक 22.04.97 एवं पंचायत समिति का आदेश दिनांक 18.04.11 को निरस्त फरमाते हुए विवादित भूमि खुली नीलामी में विक्रय किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक दुकान व पुख्ता मकान ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है। प्रार्थी की दुकान के पीछे प्रार्थी का रिहायशी मकान है और रिहायशी मकान के पीछे का आवागमन का रास्ता है। विवादित भूमि को प्रार्थी लगभग 25–30 वर्ष पहले से अपने उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। प्रार्थी का दरवाजा विवादित स्थान पर खुलता है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत से जरिये नजराना पर ली गई है। निगरानीकर्ता का उक्त विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के समक्ष नियमित दीवानी अपील संख्या 61/2013 दायर की गई थी जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 23.01.2016 के द्वारा निगरानीकर्ता की अपील खारिज कर न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.), सवाई माधोपुर द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 170/2004 (98/1997) उनवानी बालकिशन बनाम कैलाश चन्द व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2013 की पुष्टि की है। न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सवाई माधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.10.2013 के द्वारा निगरानीकर्ता को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज पेश करते हुए यह भी तर्क दिया कि निगरानीकर्ता द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र झूंठा पेश किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह तथ्य पेश किया है कि ''प्रार्थी को पंचायत समिति के आदेश दिनांक 18.04.11 की कोई जानकारी नहीं थी जिसकी नकल दिनांक 11.04.12 को प्राप्त हुई, जिससे प्रथम जानकारी पर दिनांक 11.04.12 से अपील अन्दमियाद प्रस्तुत है।'' निगरानीकर्ता के पुत्र पवन कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 09.09.11 को पंचायत समिति सवाई माधोपुर में आदेश दिनांक 18.04.11 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम झूंठा होने के कारण निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे। अपनी बहस के अंत में वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी खारिज की जाकर उसके पक्षकार को राहत प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूॅ कि प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर चुपचाप गोपनीय तरीके से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य उभर कर सामने आते है कि गैर निगरानीकर्ता ने विवादित भूमि ग्राम पंचायत से जरिये नजराना ली है। निगरानीकर्ता ने इस संबंध में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर के समक्ष नियमित दीवानी अपील संख्या 61/2013 दायर की गई थी जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 23.01.2016 के द्वारा निगरानीकर्ता की अपील खारिज कर न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.), सवाई माधोपुर द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 170/2004 (98/1997) उनवानी बालकिशन बनाम कैलाश चन्द व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2013 की पुष्टि की है। इसके साथ ही यह तथ्य भी उभर कर सामने आता है कि निगरानीकर्ता को पंचायत समिति सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 18.04.11 की जानकारी दिनांक 09.09.11 को हो गई थी जबकि उनके द्वारा निगरानी दिनांक 21.04.12 को पेश की गई है। इस प्रकार निगरानीकर्ता ने यह निगरानी मियाद बाहर पेश की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.1997 एवं पंचायत समिति सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 18.04.11 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर